

15/9/2020 वकील शर्मा उप ।
शर्मा पर के स-धर्म में मूल पत्रावली
रामरुव वाद सरण्या 52/2013 उनवान शंकरलाल
बनाम देवा का अवलोकन डिपा गया । प्रकरण
में दिनांक 12/7/2016 को अन्तिम डिडी जारी की
गई। जो कि तहसीलवार द्वारा प्रस्तुत बटवाडा
प्रस्ताव अनुसार ही हैं। उसी अनुरूप रब.न-1/पत्र/2
रकबा 1.0270 हेक्टर वाडी शर्मा के हिस्से में
दर्ज किये जाने का निर्णय डिपा गया।

उक्त बटवाडा प्रस्ताव मॉडे की स्थिति के
अनुरूप ही रामरुव अर्चनादिपो द्वारा तैयार डिपा
गया था। अतः न्यायालय की राय में कोई लिपिहीन
प्रमाण नहीं हैं। तहसीलीन मॉडे स्वम रकबे की
स्थिति के अनुरूप ही बटवाडा प्रस्ताव तैयार
डिपा गया था। अतः शर्मा का शर्मा पर अन्तर्गत
धारा 153 CPC और 109 RT Act के तहत रबीरुप
डिपा जाता है।



सहायक कलेक्टर
(एस.डी.ओ.) देसूरी (पाली)

